वाद सं0–32 वर्ष 2010–11 न्यायालय उप जिलाधिकारी,सदर,कन्नौज

अन्तर्गत धारा–143ज0वि0अधिनियम
ग्राम–चॉदापुर बांगर
परगना व तहसील कन्नौज

राजीव कुमार बनाम ग्रामसभा

आदेश

वादी राजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह यादव निवासी दुनाया पोस्ट पुठरी तहसील सदर जनपद फर्रूखाबाद,प्रबन्धक अविका डिग्री कालेज ग्राम चॉदापुर बांगर तहसील व जनपद कन्नौज द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.10 प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वह आराजी गाटा सं0–257 रकवा 1.1090है0 अर्थात 2.75ए0 स्थित ग्राम चॉदापुर बांगर की दर्जशुदा सह खातेदार बतौर संक्रमणीय भूमिधर है एवं अपने कुल भाग 247/275 का तनहॉ मालिका व काविज है। उक्त भूमि को कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित प्रयोजनों हेतु प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इस भूमि पर शिक्षण संस्थान का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इसी के साथ भूमि को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र के साथ विवादित आराजी की उद्धरण खतौनी एवं विक्रय पत्र दिनांक 9.8.2010 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र की जॉच तहसीलदार कन्नौज से कराई गई। तहसीलदार की आख्या दिनांक 16.3.11/11.4.11 प्राप्त हुई,जिसमें उल्लेख किया गया है कि विवादित आराजी गाटा सं0–257 रकवा 1.109है0 स्थित ग्राम चॉदापुर बांगर में मौके पर अविका डिग्री कालेज का भवन निर्माण कराया जा रहा है। इस भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है ।इसी कि साथ उक्त भूमि को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है।.

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार की आख्या के परीक्षण से विदित है कि आराजी गाटा सं0–257 रकवा 1.109है0 पर वादी राजीव कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर सहखातेदार अंकित है। विवादित भूमि को कृषि एवं कृषि से सम्बद्ध कार्यो यथा कृषि,बागवानी,मत्स्यपालन,कुक्कुट पालन इत्यादि प्रयोजनों हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा रहा है। मौके पर इस भूमि पर डिग्री कालेज का भवन निर्माण प्रचलित है तथा इस भूमि पर शैक्षणिक संस्थान स्थापित होना प्रस्तावित है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार निम्नांकित आदेश पारित किया जाता है–

उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार कन्नौज की आख्या दिनांक 16.3.11/11.4.11 स्वीकार की जाती है। ग्राम चॉदापुर बांगर परगना व तहसील कन्नौज की गाटा सं0–257 रकवा 1.109है0 को अकृषक घोषित कर लगानमुक्त किया जाता है। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार कन्नौज एवं उप निबन्धक कन्नौज को अभिलेखों मेंअंकन/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 18.4.11

(के0पी0सिंह)
उप जिलाधिकारी,सदर
कन्नौज

सत्य प्रतिलिपि
30.7.19
अभिलेखपाल (राजस्व)
कलेक्ट्रेट-कन्नौज